

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-२

लखनऊ :: दिनांक-24 नवम्बर, 2015

विषय:- राज्य में पशुधन संख्या एवं विभिन्न पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन के जनपदवार अनुमान प्राप्त करने की सर्वेक्षण योजना (50 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1545-47/15(10)संख्या अनुभाग-२/2015-16, दि0-29.10.2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-68/2015/2465/सेंतीस-2-2015-1(53)/02, दिनांक-18.09.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन तथा शोध कार्य (के.50/रा.50-के.+रा.) योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश रु0-62.69 लाख में राज्यांश सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित मानक मदों में रु0-125.38 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख अड़तीस हजार मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (हजार में)
01-वेतन	6842.364
03-मंहगाई भत्ता	5224.711
06-अन्य भत्ते	470.925
योग-	12538.000

(रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख अड़तीस हजार मात्र)

- (1) स्वीकृत धनराशि की सीमा तक आवंटित अतिरिक्त परिव्यय को वित्तीय वर्ष के अंत में होने वाली बचतों में समायोजित किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की सीमा तक ही किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित (आय-व्ययक) अनुभाग-१ के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (3) स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैंडबुक तथा बजट मैनेजमेंट के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये तथा जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत है, स्वीकृति की सीमा तक उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय किया जाय। इसमें विचलन होने पर वित नियंत्रक का यह दायित्व होगा कि इसकी सूचना तुरन्त वित विभाग को दें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- (5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात/कार्यरत वित्त नियँत्रक/वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में वित्त नियँत्रक का दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।
- 2- उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि राज्य सरकार के प्राप्त लेखाशीषक-“1601-केन्द्रीय सरकार के सहायक अनुदान-04-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-800-अन्य अनुदान-1504-प्रशासनिक अन्वेषण और सांछियकी” के नामे डाला जायेगा।
- 3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीषक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांछियकी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांछियकी अध्ययन तथा शोध कार्य (के.50/रा.50-के.+रा.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्र कान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

प्र०सं0-82/2015/3068(1)/सैंतीस-2-2015- तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र०, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadessh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।